जनजातीय कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जनजातीय समुदायों के वन संसाधन अधिकारों एवं अन्य मुद्दों पर दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरु

प्रविष्टि तिथि: 29 JUL 2021 6:33PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आयोजित सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम की आज नई दिल्ली में शुरुआत हुई। इसके तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पर चर्चा की गयी। कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष, श्री हर्ष चौहान ने अपने संबोधन में सामुदायिक वन संसाधनों पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और सभी प्रतिभागियों से इस संबंध में विभिन्न उपाय सुझाने का अनुरोध किया ताकि जनजातीय समुदायों को अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण तथा वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके।

इस कार्यक्रम में श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सांसद श्री गजेन्द्र सिंह पटेल तथा श्री दुर्गादास उईके और आयोग के सदस्य श्री अनंत नायक एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की। कार्यक्रम में आयोग की सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने विभिन्न राज्यों से आये सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया।

संवाद कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की वर्तमान स्थिति और संभावना, नीति, जमीनी वास्तविकता और चुनौतियों के समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई तथा विभिन्न प्रतिभागियों ने अलग-अलग राज्यों में अधिनियम के क्रियान्वयन में दिखायी दे रही समस्याओं से अवगत कराया और अपने सुझाव भी दिए। इन सत्रों में वन अधिकार अधिनियम के संबंध में जनजातीय समुदायों में जागरूकता के अभाव, दावे प्रस्तुत न किए जाने, दावे लंबित होने आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही लघु वनोपजों (एमएफपी) के संग्रहण, भंडारण तथा विक्रय में आने वाली समस्याओं, स्थानीय अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के हित में अधिनियम के प्रावधानों को लागू न किए जाने जैसी कठिनाइयों से भी अवगत कराया गया।

******

एनबी/यूडी

(रिलीज़ आईडी: 1740405) आगंतुक पटल : 69